बिहार विशेष · Bihar Special

बिहार भवन निर्माण उपविधि 2026 अधिसूचित और वरिष्ठ नागरिकों हेतु डोरस्टेप राशन योजना

बिहार सरकार ने भवन निर्माण उपविधि 2026 लागू कर 10 मीटर तक के मकानों को नक्शा मंजूरी से छूट दी है। वहीं, 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को घर पर राशन मिलेगा।

बिहार विशेष · Bihar Special

1. बिहार भवन निर्माण उपविधि 2026

- 2014 के पुराने भवन नियमों की जगह नई उपविधि लागू
- 10 मीटर तक के भवनों को नक्शा पास कराने से मिली छूट
- 30 दिन में निर्णय न होने पर स्वतः 'डीम्ड अप्रूवल'

बिहार विशेष · Bihar Special

2. भवन निर्माण में प्रमुख सुधार

- सभी भूखंडों के लिए एकसमान बेस FAR 3.0 निर्धारित
- भवनों पर लागू अधिकतम ऊंचाई की तय सीमा हटाई गई
- ग्रीन भवनों को मिलेगा 15% तक अतिरिक्त फ्लोर एरिया

बिहार विशेष · Bihar Special

3. 75+ बुजुर्गों को डोरस्टेप राशन

- 75 वर्ष से अधिक के नागरिकों को घर पर मिलेगा राशन
- उचित मूल्य की दुकानों पर जाने की बाध्यता समाप्त
- राज्य के 2.09 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारक लाभान्वित

बिहार विशेष · Bihar Special

4. आपदा प्रबंधन निधि 2026-31

- 16वें वित्त आयोग के तहत SDRF व SDMF को स्वीकृति
- केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 75:25 के अनुपात में तय
- बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं में त्वरित राहत में सहायक

परीक्षा के लिए तथ्य · Facts for Exams

याद रखें

Remember

नवीन उपविधि	बिहार भवन निर्माण उपविधि 2026
नक्शा छूट सीमा	10 मीटर (लगभग 3 मंजिल)
डीम्ड मंजूरी समयावधि	30 दिन
मानक बेस FAR	3.0
डोरस्टेप राशन पात्रता आयु	75 वर्ष और उससे अधिक
SDRF/SDMF वित्तीय अनुपात	75:25 (केंद्र:राज्य)

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

बिहार भवन निर्माण उपविधि 2026 के अनुसार, कितने मीटर तक की ऊंचाई वाले भवनों को स्व-घोषणा (Self-declaration) के आधार पर निर्माण की अनुमति दी गई है?

A 8 मीटर

B 10 मीटर

C 15 मीटर

D 18 मीटर

उत्तर / Answer: B — नई उपविधि में 10 मीटर (लगभग तीन मंजिला) तक के भवनों को निम्न जोखिम श्रेणी में रखकर स्व-घोषणा आधारित फास्ट-ट्रैक अनुमति का प्रावधान किया गया है।

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

नई उपविधि 2026 के तहत यदि नगर निकाय निर्धारित कितने दिनों के भीतर नक्शे पर फैसला नहीं करता, तो उसे स्वतः स्वीकृत (Deemed Approved) माना जाएगा?

A 15 दिन

B 21 दिन

C 30 दिन

D 45 दिन

उत्तर / Answer: C — शहरी स्थानीय निकाय द्वारा आवेदन के 30 दिनों के भीतर निर्णय न लेने पर नक्शे को डीम्ड अप्रूवल की मान्यता दी जाएगी।

पूरा लेख, PDF और रोज़ के अपडेट

Full article, PDF & daily updates

हिंदी और English दोनों में पढ़ें

aajkagk.com

पेज को **Follow** करें और **Share** करें

Follow the page & share with friends